दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

चौथा, पांचवा एवं छटा तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

हमसे संपर्क करें: **http://dpcc.delhigovt.nic.in**

सार्वजनिक सूचना

विषय: बी.आई.एस मानकों के गैर अनुरूप साबुन एवं डिटर्जेन्ट्स के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा विपणन पर प्रतिबंध।

यमुना एक पवित्र तथा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह दिल्ली की जीवनरेखा है तथा इसका प्रदूषण सरकार के साथ-साथ दिल्ली के नागरिकों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। यमुना नदी के प्रदूषण रोकथाम तथा पुनर्जीवन के मुद्दे पर माननीय एनजीटी द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है तथा साबुन और डिटर्जेन्ट जो कि बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं है, का अंधाधुंध उपयोग यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता को खराब करने वाली चीजों में से एक है। साबुन तथा डिटर्जेन्ट के निर्माण में बिना अनुमति रासायनिक पदार्थों के उपयोग की संभावना है जो कि बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे जलीय जीवन, नदी के पानी की। गुणवत्ता, नदी के जल पर निर्भर जीव जन्तुओं के साथ-साथ मनुष्यों को भी नुकसान हो सकता है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (ए) के अंतर्गत 14.06.2021 को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

1. साबुन व डिटर्जेन्ट्स संशोधित बीआईएस मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में एनसीटी ऑफ दिल्ली में उसकी बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा विपणन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा।
2. नगर निगम सहित/स्थानीय निकायों, नागरिक आपूर्ति विभाग तथा जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों द्वारा एनसीटी ऑफ दिल्ली में साबुन और डिटर्जेन्ट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं वाली दुकानों तथा प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी तथा आकस्मिक जांच के माध्यम से उपरोक्त (1) के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

अतः सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश जो कि डीपीसीसी वेबसाइट-**www.dpcc.delhigovt.nic.in** पर उपलब्ध हैं, का अनुपालन करें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 41 यथा तिथि संशोधित, के अंतर्गत दंडनीय होगा।

ह./-

(डॉ. के.एस. जयचन्द्रन)
विशेष सचिव (पर्यावरण)
एवं
सदस्य सचिव
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति